बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–रीवा
III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3631

प्रमोदकुमार मिश्रा पुत्र श्री रामगोपाल मिश्रा
निवासी – ग्राम गड़रिया, तहसील हुजूर,
जिला – रीवा (म0प्र0)

— आवेदक

बनाम

रावेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र रामलखन
निवासी – ग्राम खाम्हा, पोस्ट लोही
जिला – रीवा (म0प्र0)

— अनावेदक

03.10.17

c.f. 06/10/17

03.10.17

न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक रावेन्द्र प्रसाद तिवारी द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष एक आवेदन पत्र ग्राम गड़रिया में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 150/1 रकवा 0.778 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया था।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 29.09.2017 को सीमांकन आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के आधार :

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 29.09.2017 को पारित किया है, वह नितान्त, अवैध, अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश आवेदक के विरूद्ध पारित किया है, वह विधिवत एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3631

प्रमोदकुमार मिश्रा विरूद्ध रावेन्द्र प्रसाद तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 01/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29–09–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	